

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक-

आदेश

श्रीमती नेक परवीन, प्राध्यापक हिन्दी, राउमावि रेन्दडी-सोजत, पाली जिनकी जन्म तिथि:- 05/05/1977 है, का निधन दिनांक :- 12.06.2018 को हो चुका है। अतः श्रीमती नेक परवीन, प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक :- 12/06/2018 से समाप्त की जाती हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्रीमती नेक परवीन, के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक- 10-7-18

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) पाली
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पाली
4. प्रधानाचार्य, राउमावि रेन्दडी-सोजत, पाली
5. आश्रित स्व. श्रीमती नेक परवीन, प्राध्यापक हिन्दी, राउमावि रेन्दडी-सोजत पाली
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन ए.बी/वरिष्ठता/एसीआर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक-

आदेश

विजय कुमार शर्मा, प्राध्यापक हिन्दी, राउमावि 23 आरबी सगराना-गंगानगर जिनकी जन्म तिथि:- 20/04/1972 है, का निधन दिनांक :- 16.05.2018 को हो चुका है। अतः विजय कुमार शर्मा प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक :- 16/05/2018 से समाप्त की जाती हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित विजय कुमार शर्मा के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक- 10-7-18

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) बीकानेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) गंगानगर
4. प्रधानाचार्य, राउमावि 23आरबी सगराना-गंगानगर
5. आश्रित स्व. विजय कुमार शर्मा, प्राध्यापक हिन्दी, राउमावि 23आरबी सगराना-गंगानगर
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन ए.बी/वरिष्ठता/एसीआर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक-

आदेश

दीपक वर्मा, प्राध्यापक हिन्दी, राउमावि डुमरा- झूझनूं जिनकी जन्म तिथि:- 21/06/1993 है, का निधन दिनांक :- 14.06.2018 को हो चुका है। अतः दीपक वर्मा, प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक :- 14/06/2018 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित दीपक वर्मा, के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक- 10-7-18

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) चूरु
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) झूझनूं
4. प्रधानाचार्य, राउमावि डुमरा- झूझनूं
5. आश्रित स्व. दीपक वर्मा, प्राध्यापक हिन्दी, राउमावि डुमरा- झूझनूं
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन ए.बी/वरिष्ठता/एसीआर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक-

आदेश

गिरधारी दान, प्राध्यापक हिन्दी, राउमावि चितावा-कुचामन-नागौर जिनकी जन्म तिथि:- 15/02/1973 है, का निधन दिनांक :- 15.06.2018 को हो चुका है। अतः गिरधारी दान, प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक :- 15/06/2018 से समाप्त की जाती हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित गिरधारी दान, के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिंडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक- 10-7-18

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) अजमेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) नागौर
4. प्रधानाचार्य, राउमावि चितावा-कुचामन-नागौर
5. आश्रित स्व. गिरधारी दान, प्राध्यापक हिन्दी, राउमावि चितावा-कुचामन-नागौर
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन ए.बी/वरिष्ठता/एसीआर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक-

आदेश

सुनीता, प्राध्यापक हिन्दी, राउमावि, बीजवाडिया-बिलाडा-जोधपुर जिनकी जन्म तिथि:- 15/07/1981 है, का निधन दिनांक :- 10.06.2018 को हो चुका है। अतः सुनीता प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवाये दिनांक :- 10/06/2018 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित सुनीता के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक- 10-7-18

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रप्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) जोधपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जोधपुर
4. प्रधानाचार्य, राउमावि बीजवाडिया-बिलाडा-जोधपुर
5. आश्रित स्व. सुनीता, प्राध्यापक हिन्दी, बीजवाडिया-बिलाडा-जोधपुर
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन ए.बी/वरिष्ठता/एसीआर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी की आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	रविन्द्र कुमार मिश्रा, तुलेसर पुरोहितान- जोधपुर	02.10.1958	31.10.2018
2	मोहनलाल नायक, कवाई-बारा	10.06.1958	30.06.2018
3	श्यामलाल, अटरू - बारा	24.06.1958	30.06.2018
4	औंकारलाल बैरवा, भटवाडा -बारा	25.07.1957	31.07.2018
5	भंवरलाल मालव, बमूलियांकला- बारा	09.12.1958	31.12.2018
6	देवेन्द्र कुमार शर्मा, अन्ताना - बारा	16.12.1958	31.12.2018
7	पुरुषोत्तम गौतम, बोहत - बारा	27-07-1958	31.07.2018
8	पूनम सिंह रावत, भीम - राजसमंद	19.07.1958	31.07.2018
9	सरस्वती पाराशर, हससोर - डेगाना - नागौर	01.08.1958	31.07.2018
10	जय कुमार शर्मा, सांगासर चूरु	15-08-1958	31.08.2018
11	आनन्दी लाल भार्गव, रलावता-खण्डेला-सीकर	01-07-1958	30.06.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

(नथमल डिडेल)

आइ.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 10.7.18

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/2018-19

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
3. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
4. संबधित शाला-संस्था प्रधान/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर